[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 04/2021-सीमा-शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2021

सा. का. नि. ..... (अ) अभिहित प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/26/2020-डीजीटीआर, तारीख 18 अगस्त, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9क की उपधारा (5) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 23 के साथ पठित, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, की पहली अनुसूची के टैरिफ मद 8708 50 00, 8708 94 00 और 8708 99 00 के अधीन आने वाले भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों (जिसे इसके पश्चात् इसमें विषयगत माल कहा गया है) के लिए बने 'फ्रंट एक्सल बीम' और 'स्टीयरिंग नकेल्स' के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क के विस्तार के मामले में या चीन गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत राज्य कहा गया है) से उद्भूत या निर्यातित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 49/2015-सीमा-शुल्क, तारीख 21 अक्तूबर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) सं. सा.का.नि. 802 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के पुनर्विलोकन को आशयित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने इस विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 31/2020-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 16 अक्टूबर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) सं. सा.का.नि. 646 (अ) तारीख 16 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के माध्यम से प्रतिपाटन शुल्क को तारीख 30 नवम्बर, 2020 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने और इस विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 41/2020-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 27 नवम्बर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) सं. सा.का.नि. 741 (अ) तारीख 27 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के माध्यम से प्रतिपाटन शुल्क को तारीख 31 जनवरी, 2021 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दिया गया था;

और विषयगत देश मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क का पुनर्विलोकन किए जाने के मामले में अभिहित प्राधिकारी अपना अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 7/26/2020-डीजीटीआर, तारीख 24 दिसम्बर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 24 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि :-

(i) विषयगत देश से निर्यात किया गया स्टीयरिंग नकेल्स उसकी सामान्य मूल्य से कम कीमत पर पहुंचना जारी है, इस प्रकार इसका परिणाम भारत में इसका प्रतिपाटन करना है । स्टीयरिंग नकेल्स का आयात करना बाजार में घरेलू उद्योग के मूल्य काटे जाने के अधीन है । स्टीयरिंग नकेल्स के लिए पाटन और अति मार्जिन दोनों अन्वेषण की अवधि में सकारात्मक हैं ।

(ii) फ्रंट एलेक्स बीम के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन अन्वेषण की अवधि के दौरान नकारात्मक है । तथापि, घरेलू उद्योग के लिए पाटन और पारिणामिक क्षति पुनरावृत्ति की संभावना अधिक है, यदि प्रतिपाटन शुल्क विखंडित कर दिया जाता है ।

(iii) प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त किए जाने पर घरेलू उद्योग को पुनः क्षति होने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि विषयगत देश से पाटित आयात जारी रहेगा;

और विषयगत देश से मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण के जारी रखने की सिफारिश की है;

और केन्द्रीय सरकार ने अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात्, केवल मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के स्टीयरिंग नकेल्स के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण को जारी रखने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम. 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिहित प्राधिकारी के अंतिम विनिश्चय पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित माल जिसका विवरण नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किया गया है, जो स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आती है, जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट देश में बनी हो, स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट देशों से निर्यात की गई हो, स्तंभ (6) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित की गई हों, स्तंभ (8) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट मुद्रा में और उक्त सारणी के स्तंभ (9) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट मापन की इकाई के अनुसार स्तंभ (7) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम की समान दर पर किसी प्रतिपाटन शुल्क को भारत में आयात किया गया हो, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक/ उपशीर्षक	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातकर्ता देश	उत्पादक	रकम शुल्क	मुद्रा	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8708 94 00 या 8708 99 00	भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त स्टीयरिंग नकेल्स (एसके)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	हुबेई ट्राईरिंग फोजिंग कं. लि.	0.47	यूएस डालर	किलोग्राम
2.	8708 94 00 या 8708 99 00	भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त स्टीयरिंग नकेल्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	हुबेई ट्राईरिंग फोजिंग कं. लि. के सिवाय कोई और उत्पादक	1.09	यूएस डालर	किलोग्राम
3.	8708 94 00 या 8708 99 00	भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त स्टीयरिंग नकेल्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के सिवाय कोई अन्य देश	हुबेई ट्राईरिंग फोजिंग कं. लि.	0.47	यूएस डालर	किलोग्राम
4.	8708 94 00 या 8708 99 00	भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त स्टीयरिंग नकेल्स	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के सिवाय कोई अन्य देश	हुबेई ट्राईरिंग फोजिंग कं. लि. के सिवाय कोई और उत्पादक	1.09	यूएस डालर	किलोग्राम
5.	8708 94 00 या 8708 99 00	भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त स्टीयरिंग नकेल्स	चीन जनवादी गणराज्य के सिवाय कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	हुबेई ट्राईरिंग फोजिंग कं. लि.	0.47	यूएस डालर	किलोग्राम
6.	8708 94 00 या 8708 99 00	भारी और मध्यम श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों में प्रयुक्त स्टीयरिंग नकेल्स	चीन जनवादी गणराज्य के सिवाय कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	हुबेई ट्राईरिंग फोजिंग कं. लि. के सिवाय कोई और उत्पादक	1.09	यूएस डालर	किलोग्राम

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस मास (जब तक उसे पहले प्रतिसंहित, अधिक्रांत या संशोधित न किया गया हों) की अवधि से प्रभावी होगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा :

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अधीन बिल की प्रविष्टि के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/118/2009-टीआरयू(पार्ट II)]

जे.स. कंधारी

(जे. एस. कंधारी)

उप-सचिव, भारत सरकार